कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर (म.प्र.)

e-mail: ec.ecogwl@mp.gov.in- Ph. 0751-2452810

क्रमांक/7–ठेका/2020/118 कैम्प भोपाल, दिनांक 06.07.2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला भोपाल, शहडोल, अलीराजपुर, झाबुआ, मण्डला, धार
सिवनी (मध्यप्रदेश)

विषय :– वर्ष 2020–21 की शेष अवधि के लिए मदिरा दुकानों के पुनर्निष्पादन के संबंध में।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग का पत्र क्रमांक बी–01–06/2020/02/पांच भोपाल दिनांक 06 जुलाई, 2020।

****

शासन के संदर्भित पत्र के अनुक्रम में दिनांक 06.07.2020 को सम्पन्न मदिरा दुकानों के पुनर्निष्पादन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करें:–

1/ जिन समूहों में प्राप्त उच्चतम निविदा उस समूह के लिये वर्ष 2019–20 के टेंडर अवधि के वार्षिक मूल्य से 05 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो उन्हें जिला समिति द्वारा स्वीकार किया जाये।

2/ कंडिका–1 अनुसार निराकरण से शेष रहे समूहों के लिए अब तक प्राप्त उच्चतम ऑफर को स्टैण्ड बॉय/होल्ड पर रखते हुए उन्हें संलग्न कार्यक्रम अनुसार केवल ई–टेंडर के माध्यम से पुनः निविदा आमंत्रित कर निष्पादन की कार्यवाही की जाये। साथ ही अन्य आवेदकों की अर्नेष्टमनी वापस करने की कार्यवाही पोर्टल पर तुरन्त करें।

3/ होल्ड पर रखा हुआ H-1 ऑफरदाता अपनी पूर्व से जमा अर्नेष्टमनी का उपयोग केवल उसी समूह पर नवीन ऑफर देने के लिये कर सकेगा, जिसके विरूद्ध उसकी अर्नेष्टमनी जमा है।

4/ उपरोक्त निष्पादन हेतु आरक्षित मूल्य का निर्धारण ई–टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत की तिथि अर्थात् दिनांक 09.07.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि हेतु किया जाये।

5/ उपरोक्त हेतु अब तक के चरणों में प्राप्त उच्चतम ऑफर (H-1 प्राइस) को उसी समानुपातिक अवधि अनुसार कम किया जाकर आधार मूल्य बनाया जायेगा।

6/ आबकारी नीति दिनांक 25.02.2020 की कंडिका 15, 44 तथा ई–टेंडर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) से संबंधित सुसंगत प्रावधान नवीन ई–टेंडर व्यवस्था के अनुक्रम में युक्तियुक्त रूप से प्रभावशील होंगे।

7/ नवीन ई–टेंडर की व्यवस्था के संचालन हेतु जिला स्तर पर पोर्टल पर टेंडर बनाते समय Form of contract के विकल्प में Tender cum Auction के स्थान पर Lump-sum चुना जाये।

8/ वर्ष 2020–21 की शेष अवधि हेतु पुर्ननिष्पादन की प्रक्रिया उपरान्त सफल निविदादाता को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) संशोधित दिनांक 23.05.2020 की कण्डिका 70 में उल्लेखित नवीन विकल्प चुनने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

9/ मदिरा दुकानों के एकल समूहों के पुनर्निष्पादन हेतु निष्पादन कार्यक्रम संलग्न है। **इस हेतु जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी कर यथासंभव प्रचार–प्रसार किया जाये।**

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

06/7/20

(राजीव चन्द्र दुबे)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

पृष्ठां. क्रमांक / 7—ठेका / 2020 / 119 कैम्प भोपाल, दिनांक 06.07.2020

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर आबकारी आयुक्त प्रशासन एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल / इन्दौर / जबलपुर एवं रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी जिला भोपाल, अलीराजपुर, झाबुआ, मण्डला, धार एवं सिवनी, शहडोल (मध्यप्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06/7/20

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

पुर्ननिष्पादन कार्यक्रम एवं तिथियां

अलीराजपुर, झाबुआ, मण्डला, धार, सिवनी, भोपाल, शहडोल
(जहां लागू हों)

1	ई-टेण्डर हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई-टेण्डर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 07 जुलाई, 2020 को प्रातः 09:00 बजे से 08 जुलाई, 2020 अपरान्ह 04:00 बजे तक।
2	ई-टेण्डर हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 08 जुलाई, 2020 अपरान्ह 04:05 बजे से।
3	जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	ई–टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने पर।

06/7/20

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner